

विषय:- सूचना का अधिकार बेवसाइट पर अपडेट करने बावत।

1. कार्यालय का नाम :- कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं सीधी
2. कार्यालय प्रमुख का नाम व पता :- श्री व्ही0 के0 पाण्डेय
3. कार्यालय प्रमुख का दूरभाष एस.टी.डी. कोड सहित 07822-252279
4. कार्यालय का फ़ैक्स क्रमांक :- निरंक
5. कार्यालय का ई-मेल क्रमांक :- निरंक
6. लोक सूचना अधिकारी का नाम व पद :- श्री जी0पी0 गर्ग सहायक पंजीयक
7. लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष कार्यालय 07822-252279
(एस.टी.डी. कोड सहित) निवास - निरंक
8. सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व पद :- श्री आर0 ए0 वर्मा सहायक ग्रेड 3
9. सहायक लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष कार्यालय - 07822-252279
(एस.टी.डी. कोड सहित) निवास - निरंक
10. अपीलीय अधिकारी का नाम व पद : - श्री व्ही0 के0 पाण्डेय उपपंजीयक
11. अपीलीय अधिकारी का दूरभाष :- कार्यालय 07822-252279
(एस.टी.डी. कोड सहित) निवास - निरंक

सहकारिता—विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना

1. जिले में सहकारिता के दो कार्यालय स्थित हैं। प्रथम कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सीधी का है। एवं द्वितीय कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सीधी का है। उप पंजीयक कार्यालय जिला स्तर पर सहकारी संस्थाओं के पंजीयन से लेकर सहकारी संस्थाओं के परिसमापन तक की कार्यवाही सम्पन्न करता है। जबकि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सीधी का दायित्व जिले में स्थित सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण कराने का है।
2. उप पंजीयक कार्यालय का क्षेत्राधिकार जिले में स्थित सहकारी संस्थाओं तक है। अधिकारियों और कर्मचारियों को सहकारी समितियों के संबंध में म0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की शक्तियां प्राप्त हैं।
3. जिले में स्थित सहकारी संस्थाएं निर्वाचित संस्थाएं हैं जिनके संचालक मण्डल में निर्णय लेने के अधिकार उप-विधियों के अन्तर्गत वेष्टित हैं जिले में निर्णय की प्रक्रिया में उप पंजीयक को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त हैं।
4. सहकारिता विभाग के उपर्युक्त दोनों कार्यालयों के संबंध में कार्य करने हेतु म0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मानक निर्धारित हैं, तथा कार्य करने की प्रणालियों भी उक्त अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मानक निर्धारित हैं, तथा कार्य करने की प्रणालियां भी उक्त अधिनियम में वर्णित हैं। तथा उक्त अधिनियम के अतिरिक्त शासन/विभाग द्वारा निर्धारित मानक भी प्रभावशील हैं।
5. विभागीय गतिविधियों में सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित नियमों तथा कानूनों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निर्धारित अभिलेख उपर्युक्त दोनों कार्यालयों द्वारा संधारित हैं।
6. कार्यालयान्तर्गत संधारित अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार है :-
 - I. पंजीयन-रजिस्टर
 - II. निर्वाचन पंजी
 - III. अंकेक्षण हेतु ड्यू संस्थाओं की पंजी
 - IV. अंकेक्षण शुल्क पंजी
7. इस बिन्दु पर जिला स्तरी कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
8. ऐसी कोई कौशिल्स बोर्ड या कमेटी कार्यरत नहीं है और न ही इसके लिए कोई वैधानिक निर्देश है।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम अधि./कर्म.	पद	मासिक वेतन
1	श्री व्ही.के. पाण्डेय	उपपंजीयक अतिरिक्त प्रभार पर रीवा पदस्थ	20000
2	श्री जी.पी. गर्ग	सहायक पंजीयक	18200
3	श्री अरुण कुमार मिश्रा	अंकेक्षण अधिकारी	16000
4	श्री शिव शरण सिंह	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	14888
5	श्री हरीराम पनिका	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	15238
6	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	15589
7	श्री सत्यकेतु नारायण सिंह	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	15538
8	श्री श्रीधर गुप्ता	सहाकारी निरीक्षक	14035
8	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	सहकारी निरीक्षक	10890

9	श्री बी.डी. मिश्रा	सहाकारी निरीक्षक	13000
10	श्री राधेश्याम गुप्ता	सहाकारी निरीक्षक	11000
11	श्री आर.आर. शुक्ला	सहकारी निरीक्षक	13500
12	श्री रामनरेश द्विवेदी	सहकारी निरीक्षक	12600
13	श्री धीरज कुमार कन्नौजिया	सहकारी निरीक्षक	9732
14	श्री रामसखा शर्मा	सहकारी निरीक्षक	9732
15	श्री कुमारी प्रेमलता यादव	सहकारी निरीक्षक	9732
16	श्री बालकृष्ण सोंधिया	सहकारिता विस्तार अधिकारी	11028
17	श्री पी.के.मिश्रा	सहकारिता विस्तार अधिकारी	12276
18	श्री आर.पी. हरिजन	उप अंकेक्षक	11780
19	श्री मुन्ना लाल साकेत	उप अंकेक्षक	11780
20	श्री राजेश कुमार निगम	उप अंकेक्षक	7000
21	श्री एल.डी. सोनकर	सहायक ग्रेड 2	9424
22	श्री पी.के. पाण्डेय	सहायक ग्रेड 3	9621
23	श्री के.बी. पटेल	सहायक ग्रेड 3	8943
24	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	सहायक ग्रेड 3	7318
25	श्री रामवतार वर्मा	सहायक ग्रेड 3	7619
26	श्री एस.एस. मिश्रा	सहायक ग्रेड 3	9000
27	श्री रामाधार कोल	भृत्य	5307
28	श्री बाबू लाल कोल	भृत्य	6446
29	श्री गोपी चन्द कोल	भृत्य	6446
30	श्री शिवशंकर	भृत्य	6446
31	श्री तुलसी राम पाण्डेय	भृत्य	6446
32	श्रीमती राधा सोनी	भृत्य	6446

11. उप पंजीयक प्रशासन एवं सहायक पंजीयक अंकेक्षण को उपलब्ध बजट का विवरण निम्नानुसार है :-

आवंटन बजट

1. उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सीधी राशि रू0 **2688048**
2. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं सीधी राशि रू0 **3588000.00**

उपलब्ध बजट का व्यय कर्मचारियों को वेतन वितरण के लिए किया जाता है तथा इसका अंकेक्षण महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर द्वारा किया जाता है।

12. विभाग द्वारा मांग संख्या 41 एवं 64 के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध होता है जो कि निम्नानुसार है :-

आवंटन बजट

1. मांग संख्या - 41 राशि रू0 **175000**
 2. मांग संख्या - 64 राशि रू0 **120000** लाख
- कुल योग **2.95** लाख

उपलब्ध बजट का उपयोग सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

13. अनुज्ञप्ति और छूट इस विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तथा अथराईजेशन का कार्य नहीं होता है।
14. जिले में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के पंजीकरण से लेकर परिसमापन तक का समस्त अभिलेख उप पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध होते हैं।
15. कार्यालय में नागरिकों और जन-साधारण को सूचना के अधिकार के तहत म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
16. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीधी जिले के लिए अपीली अधिकारी हैं।
17. अन्य कोई जानकारी का बिन्दु नहीं है।